न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 104/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मृतक मगाभारती के कायम मुकाम 1. श्रीमती शान्तिदेवी बेवा मगाभारती 2. दिनेश भारती पुत्र स्व. मगाभारती 3. अशोक भारती पुत्र स्व. मगाभारती 4. बसन्त भारती पुत्र स्व. मगा भारती जातिगण गोस्वामी, निवासगण बिरामी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1. जेठाभारती पुत्र पूना भारती कौम गुसाई निवासी बिरामी तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत बिरामी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिरामी पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थी श्री मनोज श्रीनाथ उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 24.09.2018

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बिरामी के मिसल संख्या 02/1978–79 आज्ञा संख्या 3 दिनांक 16.12.1978 की पालना में विक्रय विलेख संख्या 28 दिनांक 18.08.1979 जो अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी किया गया, को निरस्त कराये जाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत बिरामी का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजीनामा होने का हवाला देते हुए बहस करने से इन्कार किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी को बार–बार आवाजे लगवाई जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से पत्रावली में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि ग्राम बिरामी में उसके कब्जासुदा 971.5 वर्गफीट की मठ की भूमि आई हुई हैं। जिस पर उसका करीब 21 वर्षो से कब्जा है। पूर्व में उसके भाई हकम भारती, उमा भारती, मोहन भारती एवं जेठा भारती ने उक्त मठ अपनी इच्छा से खाली कर दिया तथा प्रार्थी मगाराम को पीठासीन नियुक्त कर दिया था तथा तबसे ही वह मठ की पूजा अर्चना करता है। उक्त मठ की भूमि व प्रार्थी के कब्जासुद भूमि का ग्राम पंचायत बिरामी ने अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पंचायती राज नियमों के विरूद्ध जाते हुए विक्रय विलेख संख्या 28 दिनांक 18.08.1979 जारी कर दिया। जो काबिल निरस्त है। अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त पंचायत आज्ञा व मिसल द्वारा ऐसी नजूल आबादी भूमि को विक्रय न कर मठ की भूमि का विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 1 को जारी कर दिया है। मठ की भूमि का विक्रय ग्राम पंचायत को निष्पादित करने का कोई कानूनन हक अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने उक्त हदूदों के बीच जिस भूमि की आज्ञा व पट्टा जारी किया वह मठ की भूमि है। यह तथ्य सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सुमेरपुर के समक्ष दीवानी मुल वाद 57/2008 में दिये बयानों तथा अपर जिला न्यायाधीश बाली के समक्ष प्रस्तुत अपील 15/2004 के निर्णय दिनांक 12.02.2008 के पैरा नम्बर 19 में न्यायालय के निष्कर्ष में वर्णित है कि " हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादग्रस्त स्थल मठ (धार्मिक स्थल) का ही भू–भाग है, जिसे किसी व्यक्ति विशेष को निजी लाभ के लिए बेचने का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है।" से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मठ की भूमि का विक्रय विलेख जारी नहीं किया जा सकता है तथा ग्राम पंचायत ने न तो मिसल संख्या 02/1978–79 की पत्रावली कायम की तथा न ही कोई प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 16.12.1978 पारित किया गया, जब कोई मिसल कायम ही नहीं की गई, कोई प्रस्ताव लिया ही नहीं गया तो पट्टा जारी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है तथा अगर ऐसा कोई पट्टा जारी किया भी गया तो वह प्रारम्भ से ही प्रभाव हीन है। इस संबध में ग्राम पंचायत कार्यालय से जैर निगरानी मिसल, प्रस्ताव व पट्टा की प्रतियां मांगने पर इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया की ग्राम पंचायत में इस संबंध में काई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इससे भी स्पष्ट हो

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जाता है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई आक्षेप आमंत्रित किए गए, न ही राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 145 से 158 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध व पंचायत नियमों की बिना पालना के की गई है। वास्तविक रूप से जैर निगरानी मठ की भूमि पर प्रार्थी मगा भारती एवं उसके वारिशान का कब्जा है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी मिसल, प्रस्ताव व पट्टा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ग्राम पंचायत के पत्रांक ग्रा.प. बि/2009/254 दिनांक 02.09.2009 जो प्रार्थी स्व. मगाभारती को जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत ने अपने पंत्रांक ग्रा.प./92 दिनांक 10.06.2017 के द्वारा इस न्यायालय को भी अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत बिरामी के रेकर्ड में पट्टा संख्या 28 व मिसल संख्या 2/1978–79 उपलब्ध नहीं है न ही प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 16.12.1978 से संबंधित प्रस्ताव रजिस्टर ही उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 158 की पालना की गई अथवा नहीं इसका विनिश्चय नहीं किया जा सकता है तथा प्रार्थी द्वारा अपने हक में पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अपना कब्जा होने की हैसियत से अथवा पुश्तैनी भूमि होने की हैसियत से प्रस्तुत किया तथा पट्टा जारी करते वक्त उक्त भूमि पर मकान निर्मित था अथवा नहीं पट्टा निलामी से दिया गया अथवा अन्य तरीके से इन सभी बातों का विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। भूमि के नजूल आबादी भूमि होने बाबत किसी भी प्रकार का साक्ष्य सबूत अथवा दस्तावेज वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सुमेरपुर के समक्ष जेठाभारती द्वारा दीवानी मुल वाद संख्या 57/2008 में दिए गए बयानों व माननीय अपर जिला न्यायाधीश बाली के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 15/2004 के निर्णय दिनांक 12.02.2008 की प्रतियां भी वकील प्रार्थी द्वारा पेश नहीं की गई। मात्र निगरानी में उल्लेख करने को जैर निगरानी भूमि को नजूल आबादी भूमि होने का आधार नहीं माना जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त निर्णय एवं बयानों को ध्यान में रखते हुए एवं राजस्थान पंचायती राज नियम में निर्धारित प्रकिया को अपनाते हुए इस पट्टे को निरस्त करने एवं प्रकरण को रिमाण्ड करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, बिरामी के मिसल संख्या 02/1978–79 एवं प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 16.12.1978 की पालना में विक्रय विलेख संख्या 28 दिनांक 18.08.1979 जो अप्रार्थी श्री जेठाभारती के हक में जारी किया गया को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत बिरामी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय में वर्णित तथ्यों की एवं माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सुमेरपुर के समक्ष जेठाभारती द्वारा दीवानी मुल वाद संख्या 57/2008 में दिए गए बयानों व माननीय अपर जिला न्यायाधीश बाली के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 15/2004 के निर्णय दिनांक 12.02.2008 के परिप्रेक्ष्य में पंचायत नियमों की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति ग्राम पंचायत बिरामी को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)